

अनुमति की शर्तें ।

- (1) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, पारितोषिक या अन्य) होने की शिकायत से निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (4) स्वीकृत नवरी के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्काव सिविल कोचल आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 761 दिनांक 05/11/2020

(जी +)
आवासीय

प्राथमिकता क्र. 05 अंतिम 2 जमीन कागजात सोनी एं (2) चन्द्रशेखर सोनी ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000

द्वारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 27,219/- जमा

जारीये रसीद संख्या 9069/1680, 1681 दिनांक 05/11/2020 को जमा करा दी है ।

9/11/2020

सहायक नगर निगमजक
नगर निगम, जोधपुर

चन्द्रशेखर

9610132333

चन्द्रशेखर